संख्या: रैव-डी.एम.सी.-(एफ)-(2)-1/2015
हिमाचल प्रदेश सरकार
राजस्व विभाग (आपदा प्रबंधन)

125

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्यसचिव (राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रेषिति

1. समस्त मंडलायुकत,
   हिमाचल प्रदेश ।
2. समस्त जिलाधीश
   हिमाचल प्रदेश ।

दिनांक: शिमला 16 मई, 2016.

विषय: माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 2016-17 के बजट भाषण के दौरान दिये गए आश्वासन को कार्यान्वित करने तथा हिमाचल प्रदेश आपदा राहत नियमावली में अतिरिक्त मद शामिल करने बारे ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 2016-17 के बजट भाषण के दौरान दिये गए आश्वासन को मध्य नजर रखते हुए हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन एवं राहत नियमवाली 2012 में निम्नलिखित अतिरिक्त मद शामिल किए गए हैं:-

1. बिजली का करंट लगने से मौत ।
2. कुत्ते के काटने से घायल / मौत ।
3. आवारा/ पालतू जानवर के मारने से घायल /मौत ।

इसके अतिरिक्त, जिन राहत प्रकरणो में आवश्यक दस्तावेज़ जैसे, पोस्टमार्ट्म की रिपोर्ट व एफ़.आई.आर. **(F.I.R.)** आदि संलग्न नहीं हैं, उनमें अन्य साक्ष्यों जैसे चिकित्सा प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पंचायत प्रधान व स्थानीय निवासियों के ब्यान के अनुसार मृत्यु के कारण स्पष्ट होते हों तथा राहत नियमावली में शामिल हैं, के आश्रितों को भी हिमाचल प्रदेश राहत नियमावली, 2012 के अनुसार सहायता राशि प्रदान की जाएगी । यह सभी मद 16-5-2016 से लागू होंगे तथा राहत राशि हिमाचल प्रदेश राहत नियमावली, 2012 के अनुसार ही प्रदान की जाएगी ।

भवदीय

संयुक्त सचिव (राजस्व-आपदा प्रबंधन)
हिमाचल प्रदेश सरकार